Balmer Lawrie & Co. Ltd SBU: Grease and Lubricants P-43, Hide Road extension, Kolkata- 700 088

Tender Enquiry

Tender Enquiry No : GLK/TE21/116
Date : 01.09.2021

Due Date : 10.09.2021 at 16:00 Hours (IST)

"The tendered item(s) is/are not available in GeM. Balmer Lawrie & Co. Ltd. have no objection in providing detailed information for making available the said item(s) on GeM."

Sub: Supply of Virgin Mineral Base oil SN-500 (LVG) at Kolkata & Silvassa Plants of BL

Offers are invited for supply of Mineral Base oil SN-500 (LVG) Base Oil at Balmer Lawrie & Co Ltd. (BL), at Kolkata & Silvassa Plant.

Mineral Base oil SN-500 (LVG)	Qty in MT
Kolkata	150
Silvassa	150

Note:

Quantities mentioned above are indicative and may vary depending upon the actual requirements of the Plants. However, rates will be firm during the period of Contract.

Terms and conditions:

1.0 Quality Plan

The materials offered against the tender should strictly conform to the specifications as per **Annexure I**, failing which the offer will not be considered by us. Supply should be made in bulk, through tank trucks. We reserve the right to request for samples of base oil offered to enable us to check & confirm the specifications of products offered by Bidder(s).

All supplies shall be accompanied by batch-wise test certificate. We reserve the right to test the received material for conformance of quality. In the event of rejection of material at BL's receiving units after quality testing, the vendor shall be informed about rejections and causes thereof. Removal of rejected material from our factory shall be the vendor's responsibility.

2.0 BID SECURITY DECLARATION:

Participating bidders need to submit bid security declaration on bidder's letter head duly signed and stamped by authorized signatory of the bidder in lieu of EMD.

The bidder needs to submit the Declaration s per the below format.

"We hereby declare that we will not withdraw or modify our bid after tender due date and during the bid validity period etc. We also declare that if we fail to abide by the declaration, we agree to accept the penal action taken against us as specified in the tender."

Penal Action in case any bidder withdraws or modifies the bid after tender due date

In case any bidder withdraws or modify the bid after tender due date and during the period of bid validity etc., the bidder may be liable to be suspended for a period of 02 (Two) months. In case, BL request any modification of bid by the bidder and the bidder accepts it, then the mentioned penal action will not be applicable."

3.0 Security Deposit (SD)

On receipt of LOI /Contract, the successful vendor(s) must submit balance part of interest free Security Deposit @ 2% of order basic value, for satisfactory completion of contract.

Public Sector Undertakings / Enterprises are exempted from payment of security deposit.

4.0 Provisions for Micro and Small Enterprises (MSE):

Following benefits would be extended to qualifying MSE vendors as per Public Procurement policy for MSEs subject to meeting the qualification criteria.

a. Preference for Price Quotation in tenders: Qualifying Micro and Small Enterprises quoting price within price band of L1+15%, will qualify to supply a portion of requirement by bringing down price to L1 price in a situation where L1 price is from someone other than a Micro and Small Enterprises. Such Micro and Small Enterprises shall be allowed to supply 25 per cent of total tendered quantity for the particular grade(s)/item(s) at the respective plants subject to operational viability as considered appropriate by tendering authority. It may be further noted that if more than one such duly qualified MSE bidder matches non-MSE L1 price, 25% of the tender quantity will be equally split between the L1 matching MSEs. If more than one MSE bidder has quoted in afore-said price band(L1+15%), number of such bidders will be intimated by tenderer to MSE bidders when seeking their acceptance to match L1 bid."

Qualification Criterion for MSE's for availing the above benefits:

- a. Tenderer should declare their UDYAM Registration Number on CPPP website as required by Ministry's circular no S.O.1702 (E) dated 01.06.2020.
- b. The Tenderer should confirm that they have declared the UDYAM Registration number in the CPPP (Central Public Procurement Portal).
 - The bidder needs to submit the Declaration as per the below format on their letter head duly signed and stamped by the authorised signatory.
 - "We hereby declare that we have declared / uploaded the UDYAM registration number / certificate in CPPP and that the tendered item is manufactured by us."
- c. Non-declaration of UDYAM number in CPPP shall make the tenderer ineligible to enjoy the benefits as per Public Procurement Policy for MSME Order, 2012.
- d. Required UDYAM Registration Certificate needs to be uploaded along with the bid document.
- e. It is also to be noted that in UDYAM certificate, turnover and investment in Plant & Machinery for last completed F.Y must be mentioned, without the same the certificate will be treated as invalid for availing MSE benefits.

- f. UAM certificate is replaced by UDYAM Certificate. Hence, no UAM certificates will be acceptable for availing benefits of MSE.
- g. The above-mentioned provisions are meant for procurement of only goods produced by MSEs and not for any trading activities done by them. A self-certification to be provided by the bidder that the tendered item is manufactured by them. Balmer Lawrie & Co Ltd reserves the right to verify the same.
- h. All of the above details are mandatory to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSEs.

Bidder should read <u>Government Notification dated 1st, June'2020 in respect of "New Definition of MSE" as under before furnishing their MSE status to qualify for availing the benefits as per Public Procurement Policy for MSEs.</u>

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2020

- **S.O. 1702(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (9) of section 7 of the 'Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Small Scale Industries, dated the 29th September, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section3, Sub-section(ii), vide S.O. 1642(E), dated the 30th September 2006 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby notifies the following criteria for classification of micro, small and medium enterprises, namely:—
- (i) a micro enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed one crore rupees and turnover does not exceed five crore rupees;
- (ii) a small enterprise, where the investment in Plant and Machinery or Equipment does not exceed ten crore rupees and turnover does not exceed fifty crore rupees;

This notification shall come into effect from 01.07.2020

5.0 Preference to Make in India Policy:

Local content in the tendered items (Order No P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 04.06.2020 of Department for promotion Of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Govt Of India.

Further the above referred Order defines' Local Content, "Class -I local supplier" and "Class II local supplier" as under:

"Local Content" means the amount of value added in India which shall unless otherwise prescribed by the Nodal Ministry, be the total value of the item procured (excluding net domestic indirect taxes) minus the value of imported content in the item (including all custom duties) as a proportion of the total value, in percent.

Class – I local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, has <u>local content equal or more than 50%</u>, as defined under this Order.

Class – II local supplier – means a supplier or service provider, whose goods, services or works offered for procurement, <u>has local content more than 20%but less than 50</u>%, as defined under this Order.

Class I local supplier will be given purchase preferences as per preference to Make in India Policy order of Govt. of India (Order No. P-45021/2/2017-PP (BE-II) dated 04.06.2020 of DPIT). However, this preference would be applicable after netting off the quantity allotted to qualified MSE bidder (if any), as per the MSE clause of the Tender.

Only Class I & Class II bidders are eligible to participate in this tender.

In view of above guidelines, in case of procurement for value less than Rs. 10 Crores, you are required to furnish information in the following prescribed format and to provide a certificate on your letter head duly signed by authorized person and in case of procurement for a value in excess of Rs. 10 Crores, you are required to provide a certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies) giving the percentage of local content of the items(s). Your attention is also drawn towards Para 9 (f) and (g) of the above referred Order of GOI, prescribing action in case of false declaration, as under.

Verification of local content

- 1. False declarations will be in breach of the Code of Integrity under Rule 175(1)(i)(h) of the General Financial Rules for which a bidder or its successors can be debarred for up to two years as per Rule 151 (iii) of the General Financial Rules along with such other actions as may be permissible under law.
- 2. A supplier who has been debarred by any procuring entity for violations of this order shall not be eligible for preference under this Order for procurement by any other procuring entity for the duration of the debarment. The debarment for such other procuring entities shall take effect prospectively from the date on which it comes to the notice of other procurement entities, in the manner prescribed under paragraph (h) below.

SI No	Item(s) Description	Percentage of local content in your product(s)

6.0 Restriction under Rule 144 (xi) of the General Financial Rules (GFRs), 2017

- I. Any bidder from a country which shares a land border with India will be eligible to bid in this tender only if the bidder is registered with the Competent Authority.
- II. "Bidder" (including the term 'tenderer', 'consultant' or 'service provider' in certain contexts) means any person or firm or company, including any member of a consortium or joint venture (that is an association of several persons, or firms or companies), every artificial juridical person not falling in any of the descriptions of bidders stated hereinbefore, including any agency branch or office controlled by such person, participating in a procurement process.
- III. "Bidder from a country which shares a land border with India" for the purpose of this Order means:
 - a) An entity incorporated, established or registered in such a country; or

- b) A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country; or
- c) An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country; or
- d) An entity whose beneficial owner is situated in such a country; or
- e) An Indian (or other) agent of such an entity; or
- f) A natural person who is a citizen of such a country; or
- g) A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above
- IV. The beneficial owner for the purpose of (iii) above will be as under:
 - 1. In case of a company or Limited Liability Partnership, the beneficial owner is the natural person(s). who. Whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has a controlling ownership interest or who exercises control through other means.

 Explanation-
- a. "Controlling ownership interest" means ownership of or entitlement to more than twenty-five per cent. of shares or capital or profits of the company,
- b. "Control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements;
 - 2. In case of a partnership firm, the beneficial owner is the natural person(s) who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of entitlement to more than fifteen percent of capital or profits of the partnership;
 - In case of an unincorporated association or body of individuals, the beneficial owner is the natural person(s), who, whether acting alone or together, or through one or more juridical person, has ownership of or entitlement to more than fifteen percent of the property or capital or profits of such association or body of individuals;
 - 4. Where no natural person is identified under (1) or (2) or (3) above, the beneficial owner is the relevant natural person who holds the position of Senior managing official;
 - 5. In case of a trust, the identification of beneficial owner(s) shall include identification of the author of the trust, the trustee, the beneficiaries with fifteen percent or more interest in the trust and any other natural person exercising ultimate effective control over the trust through a chain of Control or ownership.
 - V. An Agent is a person employed to do any act for another, or to represent another in dealings with third person.

VI. (To be inserted in tenders for Works contracts, including Turnkey contracts)

The successful bidder shall not be allowed to sub-contract works to any contractor from a country which shares a land border with India unless such contractor is registered with the Competent Authority.

A Certificate regarding the compliance of the above in the letter head of the bidder duly signed and stamped by the authorized representative of the bidder to be submitted along with the tender. If the certificate submitted by the bidder whose bid is accepted is found to be false, this would be a ground for immediate termination and further legal action in accordance with law.

"We have read the clause regarding restrictions on procurement from a bidder of a country which shares a land border with India; we certify that (Name of firm/bidder) is not from such a country or, if from such a country, has been registered with the Competent Authority. We hereby certify that (Name of Firm/Bidder) fulfills all requirements in this regard and is eligible to be considered."

Where applicable, evidence of valid registration by the Competent Authority shall be attached.

7.0 Price

All prices should be quoted as per the price bid format given in BL e proc site.

The price quoted shall be on Ex-BL Works basis only. The transportation cost should be mentioned separately for each location of BL from the point of delivery. However, BL may at its discretion may engage their own transporters to move the materials if desires so.

8.0 Terms of Delivery

Supplies are to be made on BL- Kolkata/ Silvassa Plant basis only. Exemption may be accorded to PSU's only

9.0 Payment terms

The credit terms of 30 days from the date of receipt of material by BL units is preferred.

10.0 GST

All applicable statutory levies, like IGST, CGST (SGST / UTGST) are to be mentioned clearly in the offer.

11.0 Call ups and Supply

Contract will be valid for 30 days from the contract validity start date. The supplies shall be as per our call-ups given by the individual manufacturing units. **The delivery must commence within 4 working days of issuance of call-ups from respective location**. In exceptional circumstances, BL may agree to accept supplies received beyond tender delivery period with duly discounted price, if required, to ensure no additional cost is incurred by BL considering prevailing market conditions.

In case the successful bidder is incapable of supplying base oils as per our call up and/or delay in delivering the requisite grade, they may not be allowed to participate in our future tenders for three (3) months towards supply of mineral oils.

The Vendor shall follow all the safety and security regulations while transporting their base oils from their works to our plants through tanker lorry(ies). Freight charges to be inclusive of loading and unloading charges at either end.

12.0 Shortage allowance

No shortage allowance is allowed. All shortages shall be deducted from the bills and payment shall be made against actual quantity of materials received. **Vendors are requested** to provide the weighment slip along with the documents for each consignment.

13.0 Part Order / Split Order

Notwithstanding anything contained in other terms of this tender, BL at its own discretion may reduce or split the order among various bidders. BL reserves the right to accept any tender in whole or in part or reject any or all tenders without assigning any reason. BL shall not be bound to accept the lowest tender and reserves the right to accept any or more tenders in part. Decision of BL in this context shall be final and shall be binding on the bidders.

14.0 Bid Evaluation

To be done for each grade at each location independent of one another on Net Landed Cost Basis (Rs/MT).

15.0 Tender Cancellation Clause:

Balmer Lawrie & Co Ltd (BL) may at its own discretion cancel the tender process at any time [whether before or after tender submission date] due to any unforeseen / unavoidable circumstances or due to any other reason. BL is not liable to provide any reason to the participants/ bidders in said tender for the same.

16.0 Arbitration

Dispute Resolution, Governing Law and Jurisdiction

This Agreement, and any dispute or claim (including non-contractual disputes or claims) arising out of or in connection with it or its subject matter, shall be governed by and construed in accordance with the laws of India.

All disputes, differences and questions of any nature including interpretation of this Agreement or arising out of or in connection with this Agreement or as to the rights, duties or liabilities under it of the Parties shall be referred to Arbitration. The procedure of the Arbitration shall be governed under the Arbitration and Conciliation Act, 1996 (as amended) and the rules thereunder as may be in force from time to time. The Arbitration proceedings shall be conducted in English language. The Seat of Arbitration shall be at Kolkata. The fees of the arbitrator will be divided equally. The Sole Arbitrator shall be appointed from the panel of arbitrators which shall be provided by Balmer Lawrie & Co. Ltd. to (the other party to the Agreement) and he/she shall assign reasons to the award.

Governing Law and Jurisdiction: The construction validity and performance of this Agreement shall be governed in all respects by the laws of the Republic of India. In relation to any legal action or proceedings to enforce this Agreement or any part hereof or any agreement pursuant thereto ("proceedings") each of the parties, Subject to the above clause, Parties irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the Courts at Kolkata only

and waives any objection to proceedings in such Courts on the grounds of venue or on the grounds that the proceedings have been brought in an inconvenient forum. Government of India shall not be made party to any such dispute.

The parties hereby waive their right to any form of recourse against an award to any court or other competent authority, insofar as such waiver can validly be made under the applicable law.

17.0 GST Formalities and compliance with Regulations

Bidder shall warrant that all goods covered by this agreement / contract shall have been produced, sold, dispatched and delivered in strict compliance with all applicable laws, regulations, labor agreements, working conditions and technical codes and requirements as applicable from time to time. The Vendor shall execute and deliver such documents as may be required to effect or to evidence such compliance.

The vendor shall issue the GST paid invoice so that equivalent amount may be availed as GST credit by BL, if applicable. Vendor / vendor's nominated transporter shall ensure handing over of the transporter copy of GST paid invoice for availing GST credit & road permit to the company at the time of delivery of consignment. All unutilized / expired road permits shall be returned to the issuing unit.

"The vendor should compulsorily follow all the provisions of GST Law and in the event of any default of complying with any of the provisions of the GST Law, Balmer Lawrie would exercise the right for non-payment / withholding payment / black listing the vendor."

18.0 Risk purchase

Without prejudice to other provisions in the tender, in the event of the vendor failing to deliver within the **3 (three) working days** of issuance of call-up by e-mail/fax, BL shall have the right and option to procure the product from alternate sources, at the risk and cost of the vendor, without further intimation.

19.0 Force-majeure

Any delay in or failure of performance of either party hereto shall not constitute default hereunder or give rise to any claims for damage, if any, to the extent such delays / failure of performance is caused by occurrences such as Acts of God or an enemy, decrees of any government or governmental authority, acts of war, rebellion, sabotage or fires, floods, explosions, riots, or strikes. The Vendor shall keep records of the circumstances referred to above and bring these to the notice of the concerned officer of the buyer in writing within 2 days of such occurrences. The decision of the buyer arrived at after consultation with the vendor, shall be final and binding. As soon as the cause of Force Majeure been removed, the party whose liability to perform its obligation has been affected shall notify the other of such cessation and inform the other party the actual delay incurred in such affected activities.

20.0 <u>Validity of offer</u>

Offer to be valid for acceptance up to 30 days from due date of tender

21.0 Corrigendum/Amendment

Any amendment /Corrigendum, as and when required, will be uploaded only on the website of the Company www.balmerlawrie.com and https://balmerlawrie.eproc.in and related Government of India e-procurement websites where this tender is floated and interested vendors should regularly visit these websites for update.

22.0 Submission of Offer

The offers are to be submitted on line only. However, Oil PSUs may submit their bid either on line or e-mail or in sealed envelope.

23.0 Integrity Pact (IP)

Submission of Integrity pact agreement is a mandatory prerequisite for Bids to be eligible for further evaluation. The Integrity pact draft attached as Annexure II to be printed on the plain paper and signed and stamped by the authorized signatory of the bidder to be submitted along with technical bid of the tender. The validity of the integrity pact should be at least for 12 months or more from the due date of the tender. The signed Integrity Pact should be complete in all respect and it is required to be uploaded in the e-tender portal along with bid. The said integrity pact shall be signed in all the pages by the authorized signatory of the vendors, who sign the bid and techno commercial bid and should cover for Group I base oil tenders. The scanned copy of the integrity pact may be send through e-mail followed by original hard copy through courier.

However, bidders who have already submitted the Signed and stamped integrity pact for a validity period of 12 months or more need not to submit the document against each and every repetitive tenders for the tenders of the same items subject to its validity remains at least 6 months after the due date of the tender. In case the validity of the integrity pact (submitted by bidder against repetitive tenders of the same item(s)) remains less than 6 months, the bidder should submit a fresh integrity pact for a period of next 12 months valid from the last date of validity of previously submitted Integrity pact as a continuation of the agreement.

For Balmer Lawrie & Co. Ltd (Aryya Kanti Naha) Chief Manager (SCM)

Phone No. : 033 – 24500110

E-mail : naha.ak@balmerlawrie.com

Annexure I

Specification for Mineral Base oil SN-500 (LVG)

Test Parameters	Ref. Test Method	Unit	Specification	
Appearance	Clear & Bright		Clear & Bright	
Colour	ASTM D-1500		2.5 max	
Crackle test			No crackling	
Sp. Gravity	ASTM D-1298	gms/ml	Vendor to report	
K. Visc. @ 100 deg C	ASTM D-445	Cst	Vendor to report	
K. Visc. @ 40 deg C	ASTM D-445	Cst	85 min	
Viscosity Index	ASTM D-2270		85 - 100	
Flash Point COC	ASTM D-92	Deg C	220 min	
Pour Point °C	ASTM D-97	Deg C	0 max	
TAN mg KOH/g			0.05 max	

Please note that Base Oils must be free from any mal odor.

Integrity Pact

Balmer Lawrie & Co. Limited (BL) hereinafter referred to as "The Principal".

And	
 , hereinafter referred to as "The	Bidder/Contractor"

Preamble

The Principal intends to award, under laid down organizational procedures, contract/s for

The Principal values full compliance with all relevant laws of the land, rules, regulations, economic use of resources and of fairness/transparency in its relations with its Bidder(s) and /or Contractor(s).

In order to achieve these goals, the Principal will appoint an Independent External Monitor (IEM), who will monitor the tender process and the execution of the contract for compliance with the principles mentioned above.

Section 1- Commitments of the Principal

- 1. The Principal commits itself to take all measures necessary to prevent corruption and to observe the following principles:
 - a. No employee of the Principal, personally or through family members, will in connection with the tender for, or the execution of a contract, demand, take a promise for or accept, for self or third person, any material or immaterial benefit which the person is not legally entitled to.
 - b. The Principal will, during the tender process treat all Bidder(s) with equity and reason. The Principal will in particular, before and during the tender process, provide to all Bidder(s) the same information and will not provide to any Bidder(s) confidential/additional information through which the Bidder(s) could obtain an advantage in relation to the tender process or the contract execution.
 - c. The Principal will exclude from the process all known prejudiced persons.
- If the Principal obtains information on the conduct of any of its employees which
 is a criminal offence under the IPC/PC Act, or if there be a substantive suspicion in
 this regard, the Principal will inform the Chief Vigilance Officer and in addition can
 initiate disciplinary actions.

Section2- Commitments of the Bidder(s)/ Contractor(s)

- 1. The Bidder(s)/Contractor(s) commit himself to take all measures necessary to prevent corruption. He commits himself to observe the following principles during his participation in the tender process and during the contract execution.
 - a. The Bidder(s) / Contractor(s) will not, directly or through any other persons or firm, offer, promise or give to any of the Principal's employees involved in the tender process or the execution of the contract or to any third person any material or other benefit which he/she is not legally entitled to, in order to obtain in exchange any advantage of any kind whatsoever during the tender process or during the execution of the contract.
 - b. The Bidder(s)/Contractor(s) will not enter with other Bidders into any undisclosed agreement or understanding, whether formal or informal. This applies in particular to prices, specifications, certifications, subsidiary contracts, submission or non-submission of bids or any other actions to restrict competitiveness or to introduce cartelization in the bidding process.
 - c. The Bidder(s)/Contractor(s) will not commit any offence under the relevant IPC/PC Act; further the Bidder(s) /Contractors will not use improperly, for purposes of competition or personal gain, or pass on to others, any information or document provided by the Principal as part of the business relationship, regarding plans, technical proposals and business details, including information contained or transmitted electronically.
 - d. The Bidder(s)/Contractor(s) of foreign origin shall disclose the name and address of the Agents/representatives in India, if any. Similarly, the Bidder(s)/Contractor(s) of Indian Nationality shall furnish the name and address of the foreign principals, if any. Further details as mentioned in the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers" shall be disclosed by the Bidder(s)/Contractor(s). Further, as mentioned in the Guidelines all the payments made to the Indian agent/representative have to be in Indian Rupees only. Copy of the "Guidelines on Indian Agents of Foreign Suppliers' as annexed and marked as Annexure A
 - e. The Bidder(s)/Contractor(s) will, when presenting his bid, disclose any and all payments he has made, is committed to or intends to make to agents, brokers or any other intermediaries in connection with the award of the contract.
- 2. The Bidder(s)/Contractor(s) will not instigate third persons to commit offences outlined above or be an accessory to such offences.

Section 3: Disqualification from tender process and exclusion from future contracts

If the Bidder(s)/Contractor(s), before award or during execution has committed a transgression through a violation of Section 2, above or in any other form such as to put his reliability or credibility in question, the Principal is entitled to disqualify the Bidder(s) /Contractor(s) from the tender process or act as per the procedure mentioned in the "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting" is annexed and marked as Annexure - B.

Section 4: Compensation for Damages

- a) If the Principal has disqualified the Bidder(s) from the tender process prior to the award according to Section 3, the Principal is entitled to demand and recover the damages equivalent to Earnest Money Deposit/Bid Security.
- b) If the Principal has terminated the contract according to Section 3, or if the Principal is entitled to terminate the contract according to Section 3, the Principal shall be entitled to demand and recover from the Contractor liquidated damages of the Contract value or the amount equivalent to Performance Bank Guarantee.

Section 5: Previous Transgression

- a. The Bidder declares that no previous transgressions occurred in the last three years with any other company in any country conforming to the anti-corruption approach or with any other public sector enterprise in India that could justify his exclusion from the tender process.
- b. If the bidder makes incorrect statement on this subject, he can be disqualified from the tender process or action can be taken as per the procedure mentioned in "Balmer Lawrie Policy on Blacklisting".

Section 6: Equal treatment of all Bidders/Contractors/Subcontractors.

- a. The Bidder(s)/Contractor(s) undertake(s) to demand from all subcontractors a commitment in conformity with this Integrity Pact, and to submit it to the Principal before contract signing.
- b. The Principal will enter into agreements with identical conditions as this one with all bidders, contractors and subcontractors.
- c. The Principal will disqualify from the tender process all bidders who do not sign this Pact or violate its provisions.

Section 7: Criminal charges against violation Bidder(s)/contractor(s)/Subcontractor(s).

If the Principal obtains knowledge of conduct of a Bidder, Contractor or Subcontractor, or of an employee or a representative or an associate of a Bidder, Contractor or Subcontractor which constitutes corruption, or if the Principal has substantive suspicion in this regard, the Principal will inform the same to the Chief Vigilance Officer.

Section 8: Independent External Monitor/Monitors

(a) The Principal appoints competent and credible Independent External Monitor for this Pact. The task of the Monitor is to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the

obligations under this agreement.

- (b) The Monitor is not subject to instructions by the representatives of the parties and performs his functions neutrally and independently. He reports to the Chairman & Managing Director, BL.
- (c) The Bidder(s)/Contractor(s) accepts that the Monitor has the right to access without restriction to all project documentation of the Principal including that provided by the Contractor. The Contractor will also grant the Monitor, upon his request and demonstration of a valid interest, unrestricted and unconditional access to his project documentation. The same is applicable to Subcontractors. The Monitor is under contractual obligation to treat the information and documents of the Bidder(s)/Contractor(s)/Subcontractor(s) with confidentiality.
- (d) The Principal will provide to the Monitor sufficient information about all meetings among the parties related to the Project provided such meetings could have an impact on the contractual relations between the Principal and the Contractor. The parties offer to the Monitor the option to participate in such meetings.
- (e) As soon as the Monitor notices, or believes to notice, a violation of this agreement, he will so inform the Management of the Principal and request the Management to discontinue or take corrective action, or to take other relevant action. The monitor can in this regard submit non-binding recommendations. Beyond this, the Monitor has no right to demand from the parties that they act in a specific manner, refrain from action or tolerate action.
- (f) The Monitor will submit a written report to the CMD, BL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the Principal and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations.
- (g) Monitor shall be entitled to compensation on the same terms as being extended to / provided to Independent Directors on the BL Board.
- (h) If the Monitor has reported to the CMD, BL, a substantiated suspicion of an offence under relevant IPC/PC Act, and the CMD, BL has not, within the reasonable time taken visible action to proceed against such offence or reported it to the Chief Vigilance Officer, the Monitor may also transmit this information directly to the Central Vigilance Commissioner.
- (i) The word 'Monitor' would include both singular and plural.

Section 9 - Pact Duration

This Integrity Pact would be effective from to (at least for 12 months or more).

If any claim is made / lodged during this time, the same shall be binding and continue to be valid despite the lapse of this pact as specified above, unless it is discharged / determined by CMD, BL.

Section 10 - Other provisions

- a) This agreement is subject to Indian Law. Place of performance and jurisdiction is the Registered Office of the Principal, i.e. Kolkata.
- b) Changes and supplements as well as termination notices need to be made in writing. Side agreements have not been made.
- c) If the Contractor is a partnership or a consortium, this agreement must be signed by all partners or consortium members.
- d) Should one or several provisions of this agreement turn out to be invalid, the remainder of this agreement remains valid. In this case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

(For & on behalf of the Principal)	(For & On behalf of Bidder/Contractor)
(Office Seal)	(Office Seal)
Place Date	
Witness 1: (Name & Address)	
Witness 2: (Name & Address)	

GUIDELINES FOR INDIAN AGENTS OF FOREIGN SUPPLIERS

- 1.0 There shall be compulsory registration of agents for all global (Open) Tender and Limited Tender. An agent who is not registered with BL shall apply for registration in the prescribed Registration Form.
- 1.1 Registered agents will file an authenticated photocopy duly attested by a Notary Public/ Original certificate of the Principal confirming the agency agreement and giving the status being enjoyed by the agent and the commission/ remuneration/ retainer-ship being paid by the principal to the agent before the placement of order by BL.
- 1.2 Wherever the Indian representatives have communicated on behalf of their principals and the foreign parties have stated that they are not paying any commission to the Indian agents, and the Indian representative is working on the basis of salary or as retainer, a written declaration to this effect should be submitted by the party (i.e. Principal) before finalizing the order.

2.0 DISCLOSURE OF PARTICULARS OF AGENTS/ REPRESENTATIVES IN INDIA, IF ANY.

- 2.1 Tenderers of Foreign nationality shall furnish the following details in their offer:
- 2.1.1 The name and address of the agents/representatives in India, if any, and the extent of authorization and authority given to commit the Principals. In case the agent/representative be a foreign Company, it shall be confirmed whether it is real substantial Company and details of the same shall be furnished.
- 2.1.2 The amount of commission/ remuneration included in the quoted price(s) for such agents/representatives in India.
- 2.1.3 Confirmation of the Tenderer that the commission/remuneration if any, payable to his agents/representatives in India, may be paid by BL in Indian Rupees only.
- 2.2 Tenderers of Indian Nationality shall furnish the following details in their offers:
- 2.2.1 The name and address of the foreign Principals, if any, indicating their nationality as well as their status, i.e, whether manufacturer or agents of manufacturer holding the Letter of Authority of the Principal specifically authorizing the agent to make an offer in India in response to tender either directly or through the agents/representatives.
- 2.2.2 The amount of commission /remuneration included in the price(s) quoted by the tenderer for himself.
- 2.2.3 Confirmation of the foreign principals of the Tenderer that the commission/remuneration, if any, reserved for the Tenderer in the quoted price(s), may be paid by BL in India in equivalent Indian Rupees on satisfactory completion of the Project or supplies of Stores and Spares in case of operation items.

- 2.3 In either case, in the event of contract materializing, the terms of payment will provide for payment of the commission/ remuneration, if any, payable to the agents /representatives in India in Indian Rupees on expiry of 90 days after the discharge of the obligations under the contract.
- 2.4 Failure to furnish correct and detailed information as called for in paragraph 2.0 above will render the tender concerned liable to rejection or in the event of a contract materializing, the same liable to termination by BL. Besides this, there would be a penalty of banning business dealings with BL or damage or payment of a named sum.

* * * * *

Procedure for Bid Submission

The bidder shall submit his response through bid submission to the tender on e-procurement platform at https://balmerlawrie.eproc/.in by following the procedure given below. The bidder would be required to register on the e-procurement market place at https://balmerlawrie.eproc/.in and submit their bids online.

The bidders shall submit their eligibility and qualification documents, Technical bid, Financial bid etc., in the standard formats prescribed in the Tender documents, displayed in eProcurement web site. The bidders shall upload the scanned copies of all the relevant certificates, documents etc., if required, in support of their eligibility criteria/technical bids in the eProcurement web site. However, bulky documents need not be scanned and uploaded but physical copy of the same should be sent to the Tender Inviting Authority office before the tender opening date. The bidder shall sign on the statements, documents, certificates, uploaded by him, owning responsibility for their correctness/authenticity.

Registration with e-Procurement platform:

For registration and online bid submission bidders may contact HELP DESK of M/s C1 India Pvt., Ltd., or they can register themselves online by logging in to the website https://balmerlawrie.eproc/.in

Digital Certificate authentication:

The bidder shall authenticate the bid with his Digital Certificate for submitting the bid electronically on e-Procurement platform and the bids not authenticated by digital certificate of the bidder will not be accepted on the eProcurement platform. All the bidders who do not have Digital Certificates need to obtain Digital Certificate. They may contact Help Desk of C1 India Pvt Ltd.

M/s C1 India Pvt Ltd. C104, Sector 2 Noida-201301

1. Mr. Tirtha tirtha	lot]das[at]c1india[dot]com +91-
Das(Kolkata)	9163254290
2. Mr. Partha partha	dot]ghosh[at]c1india[dot]com +91-
Ghosh(Kolkata)	8811093299
3. Mr. CH.Mani chikka	varapu[dot]manisankar[at]c1india[dot]com +91-
Sankar (Chennai)	8939284159
4. Ms. Ujwala <mark>ujwala</mark>	dot]shimpi[at]c1india[dot]com +91-022-
Shimpi (Mumbai)	66865608

Submission of Hard copies:

After submission of bid online, the bidders are requested to submit the demand drafts /Bank Guarantee towards tender fees and / EMD along with other documents as required, to the Tender Inviting Authority before opening of Techno-commercial /Unpriced bid. The bidder shall furnish the original DD / Bank Guarantee and other documents either in person or through courier or by post. BL shall not take any responsibility for any delay or non-receipt of said documents. If any of the documents furnished by the bidder is found to be false / fabricated, the bidder is liable for black listing, forfeiture of the EMD and cancellation of work. The bidder is requested to get a confirmed acknowledgement from the Tender Inviting Authority as proof of submission of hardcopies.

Corrigendum to tender:

The bidder has to keep track of any changes by viewing the addendum / Corrigendum's issued by the Tender Inviting Authority on time-to- time basis in the e-Procurement platform. The Company calling for tenders shall not be responsible for any claims/problems arising out of this.

Bid Submission Acknowledgement:

The user should complete all the processes and steps required for bid submission. The successful bid submission can be ascertained once acknowledgement is given by the system through bid submission number after completing all the processes and steps. Tender Inviting Authority and C1 India Pvt. Ltd. will not be responsible for incomplete bid submission by users. Users may also note that the incomplete bids will not be saved by the system and are not available for the Tender Inviting Authority for processing. Before uploading scanned documents, the bidders shall sign on all the statements, documents, certificates uploaded by him, owning responsibility for their correctness / authenticity

*In case any deviation in language, English part will be considered final.

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड एसबीयू: ग्रीस और स्नेहक पी-43, हाइड रोड एक्सटेंशन, <u>कोलकाता- 700 088</u>

निविदा पूछताछ

निविदा पूछताछ संख्या : जीएलके/टीई21/116

दिनांक : 01.09.2021

नियत तिथि : 10.09.2021 को 16:00 बजे (आईएसटी)

"निविदा की गई वस्तु जीईएम में उपलब्ध नहीं है/हैं। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड को GeM पर उक्त मद (वस्तुओं) को उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करने में कोई आपत्ति नहीं है।

विषय: कोलकाता में वर्जिन मिनरल बेस ऑयल एसएन-500 (एलवीजी) और बीएल . के सिलवासा संयंत्रों की आपूर्ति

कोलकाता और सिलवासा प्लांट में बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल) में मिनरल बेस ऑयल एसएन-500 (एलवीजी) बेस ऑयल की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

मिनरल बेस ऑयल SN-500 (LVG)	<u>मात्रा MT.में</u>
कोलकाता	150
सिलवासा	150

ध्यान दें:

ऊपर वर्णित मात्राएँ सांकेतिक हैं और पौधों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकती हैं। तथापि, संविदा की अविध के दौरान दरें स्थिर रहेंगी।

नियम और शर्तै:

1.0 <u>गुणवत्ता योजना</u>

निविदा के लिए दी जाने वाली सामग्री अनुबंध । के विनिर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए, ऐसा न करने पर हमारे द्वारा प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। टैंक ट्रकों के माध्यम से थोक में आपूर्ति की जानी चाहिए। हम बोलीदाताओं द्वारा पेश किए गए उत्पादों के विनिर्देशों की जांच और पुष्टि करने में सक्षम बनाने के लिए प्रस्तावित बेस ऑयल के नमूनों के लिए अनुरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

सभी आपूर्तियों के साथ बैच-वार परीक्षण प्रमाणपत्र होना चाहिए। हम गुणवत्ता के अनुरूप प्राप्त सामग्री का परीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। गुणवत्ता परीक्षण के बाद बीएल की प्राप्त इकाइयों में सामग्री की अस्वीकृति की स्थिति में, विक्रेता को अस्वीकृति और उसके कारणों के बारे में सूचित किया जाएगा। हमारे कारखाने से अस्वीकृत सामग्री को हटाना विक्रेता की जिम्मेदारी होगी।

2.0 <u>बोली स्रक्षा घोषणा:</u>

भाग लेने वाले बोलीदाताओं को ईएमडी के बदले बोलीदाता के लेटर हेड पर बोली सुरक्षा घोषणा को विधिवत हस्ताक्षरित और बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगाकर जमा करना होगा।

बोलीदाता को नीचे दिए गए प्रारूप के अन्सार घोषणा पत्र प्रस्त्त करना होगा।

"हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हम निविदा की देय तिथि के बाद और बोली की वैधता अविध आदि के दौरान अपनी बोली को वापस नहीं लेंगे या संशोधित नहीं करेंगे। हम यह भी घोषणा करते हैं कि यदि हम घोषणा का पालन करने में विफल रहते हैं, तो हम निर्दिष्ट के रूप में हमारे खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को स्वीकार करने के लिए सहमत हैं। टेंडर में।"

यदि कोई बोलीदाता निविदा की देय तिथि के बाद बोली वापस लेता है या संशोधित करता है तो दंडात्मक कार्रवाई

यदि कोई बोलीदाता निविदा की देय तिथि के बाद और बोली की वैधता आदि की अविध के दौरान बोली को वापस लेता है या संशोधित करता है, तो बोलीदाता को 02 (दो) महीने की अविध के लिए निलंबित किया जा सकता है। यदि बीएल बोलीदाता द्वारा बोली में किसी भी संशोधन का अनुरोध करता है और बोलीदाता इसे स्वीकार करता है, तो उल्लिखित दंडात्मक कार्रवाई लागू नहीं होगी।

3.0 <u>सुरक्षा जमा (एसडी)</u>

एलओआई/संविदा प्राप्त होने पर, सफल विक्रेता (विक्रेताओं) को अनुबंध के संतोषजनक समापन के लिए, ऑर्डर के मूल मूल्य के 2% की दर से ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा का शेष भाग जमा करना होगा।

सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रमों/उद्यमों को सुरक्षा जमा के भुगतान से छूट दी गई है।

4.0 <u>सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए प्रावधान (एमएसई):</u>

योग्यता मानदंडों को पूरा करने के अधीन एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार योग्य एमएसई विक्रेताओं को निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे।

ए। निविदाओं में मूल्य कोटेशन के लिए वरीयता: एल1+15% के मूल्य बैंड के भीतर मूल्य उद्धृत करने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों को एल1 मूल्य पर कीमत कम करके आवश्यकता के एक हिस्से की आपूर्ति करने के लिए अर्हता प्राप्त होगी, जहां एल1 मूल्य एक के अलावा किसी अन्य से है। सूक्ष्म और लघु उद्यम। ऐसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संबंधित संयंत्रों में विशिष्ट ग्रेड/मदों के लिए कुल निविदा मात्रा के 25 प्रतिशत की आपूर्ति करने की अनुमित दी जाएगी, जो निविदा प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर परिचालन व्यवहार्यता के अधीन होगा। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि यदि एक से अधिक ऐसे विधिवत योग्य एमएसई बोलीदाता गैर-एमएसई एल1 मूल्य से मेल खाते हैं, तो निविदा मात्रा का 25% एल1 मिलान एमएसई के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा। यदि एक से अधिक एमएसई बोलीदाता ने उपरोक्त मूल्य बैंड (एल 1 + 15%) में उद्धृत किया है, तो ऐसे

बोलीदाताओं की संख्या को एमएसई बोलीदाताओं को एल 1 बोली से मेल खाने के लिए उनकी स्वीकृति मांगने पर सूचित किया जाएगा।

उपरोक्त लाभों का लाभ उठाने के लिए एमएसई के लिए योग्यता मानदंड:

- a. निविदाकार को मंत्रालय के परिपत्र संख्या एस.ओ.1702 (ई) दिनांक 01.06.2020 के अनुसार सीपीपीपी वेबसाइट पर अपना उद्यम पंजीकरण संख्या घोषित करना चाहिए।
- b. निविदाकर्ता को पुष्टि करनी चाहिए कि उन्होंने CPPP (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) में UDYAM पंजीकरण संख्या घोषित कर दी है। बोलीदाता को अपने पत्र शीर्ष पर नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। "हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि हमने CPPP में UDYAM पंजीकरण संख्या / प्रमाण पत्र घोषित / अपलोड किया है और यह कि निविदा वस्तु हमारे द्वारा निर्मित है।"
- c. सीपीपीपी में उद्यम संख्या की गैर-घोषणा निविदाकार को एमएसएमई आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार लाभों का आनंद लेने के लिए अपात्र बना देगी।
- d. आवश्यक UDYAM पंजीकरण प्रमाणपत्र को बोली दस्तावेज के साथ अपलोड करना होगा।
- e. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि उद्यम प्रमाण पत्र में, अंतिम पूर्ण वितीय वर्ष के लिए संयंत्र और मशीनरी में कारोबार और निवेश का उल्लेख किया जाना चाहिए, इसके बिना प्रमाण पत्र को एमएसई लाभ प्राप्त करने के लिए अमान्य माना जाएगा।
- f. UAM प्रमाणपत्र को UDYAM प्रमाणपत्र से बदल दिया गया है। इसलिए, एमएसई के लाभों का लाभ उठाने के लिए कोई यूएएम प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- g. उपर्युक्त प्रावधान केवल एमएसई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की खरीद के लिए हैं, न कि उनके द्वारा की गई किसी भी व्यापारिक गतिविधियों के लिए। बोलीदाता द्वारा एक स्व-प्रमाणन प्रदान किया जाना है कि निविदा की गई वस्तु उनके द्वारा निर्मित है। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड इसे सत्यापित करने का अधिकार स्रक्षित रखता है।
- h. उपरोक्त सभी विवरण एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं।

बोलीदाता को एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अपनी एमएसई स्थिति प्रस्तुत करने से पहले <u>"एमएसई की नई परिभाषा" के</u> संबंध में 1 जून, 2020 की सरकारी अधिसूचना पढ़नी चाहिए।

सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, १ जून, २०२०

5.0. १७०२ (अ).—सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, २००६ (२००६ का २७) की धारा ७ की उप-धारा (९) के साथ पठित उप-धारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और में भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय, दिनांक 29 सितंबर, 2006 की अधिसूचना का अधिक्रमण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड ३, उप-खंड (іі) में प्रकाशित, एसओ के तहत १६४२ (अ), दिनांक ३० सितंबर २००६, केंद्र सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित मानदंड अधिसूचित करती है, अर्थात्ः -

(i) एक सूक्ष्म उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पांच करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

(ii) एक छोटा उद्यम, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश दस करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और कारोबार पचास करोड़ रुपये से अधिक नहीं है;

यह अधिसूचना 01.07.2020 से प्रभावी होगी

5.0 मेक इन इंडिया नीति को वरीयता:

उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के निविदा मदों में स्थानीय सामग्री (आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-द्वितीय) दिनांक 04.06.2020।

इसके अलावा उपरोक्त संदर्भित आदेश 'स्थानीय सामग्री', "वर्ग-। स्थानीय आपूर्तिकर्ता" और "द्वितीय श्रेणी के स्थानीय आपूर्तिकर्ता" को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

<u>"स्थानीय सामग्री"</u> का अर्थ भारत में मूल्य वर्धित मूल्य की राशि है जो जब तक नोडल मंत्रालय द्वारा अन्यथा निर्धारित नहीं किया जाता है, तब तक प्राप्त की गई वस्तु का कुल मूल्य (शुद्ध घरेलू अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर) घटा मद में आयातित सामग्री का मूल्य (सभी कस्टम सहित) शुल्क) कुल मूल्य के अनुपात के रूप में, प्रतिशत में।

श्रेणी - । स्थानीय आपूर्तिकर्ता - का अर्थ एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसके सामान, सेवाओं या कार्यों की खरीद के लिए पेशकश की गई है, जिसमें <u>स्थानीय सामग्री बराबर या 50% से अधिक है,</u> जैसा कि इस आदेश के तहत परिभाषित किया गया है।

श्रेणी - ॥ स्थानीय आपूर्तिकर्ता - का अर्थ एक आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता है, जिसके सामान, सेवाओं या कार्यों की खरीद के लिए पेशकश की गई है, जिसमें स्थानीय सामग्री 20% से अधिक लेकिन 50% से कम है, जैसा कि इस आदेश के तहत परिभाषित किया गया है।

भारत सरकार के मेक इन इंडिया नीति आदेश के अनुसार कक्षा । के स्थानीय आपूर्तिकर्ता को वरीयता के अनुसार खरीद वरीयता दी जाएगी। भारत के (आदेश संख्या पी-45021/2/2017-पीपी (बीई-द्वितीय) दिनांक 04.06.2020 डीपीआईटी)। हालांकि, यह वरीयता निविदा के एमएसई खंड के अनुसार योग्य एमएसई बोलीदाता (यदि कोई हो) को आवंटित मात्रा को कम करने के बाद लागू होगी।

इस निविदा में भाग लेने के लिए केवल प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बोलीदाता ही पात्र हैं।

उपरोक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, रुपये से कम मूल्य की खरीद के मामले में। 10 करोड़, आपको निम्नलिखित निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रस्तुत करने और अधिकृत व्यक्ति द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपने पत्र शीर्ष पर एक प्रमाण पत्र प्रदान करने और रुपये से अधिक मूल्य के लिए खरीद के मामले में आवश्यक है। 10 करोड़, आपको कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक या लागत लेखा परीक्षक (कंपनियों के मामले में) या एक प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्टर्ड एकाउंटेंट (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) का प्रतिशत देते हुए एक प्रमाण पत्र प्रदान करना आवश्यक है। वस्तुओं की स्थानीय सामग्री। आपका ध्यान भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित आदेश के पैरा 9 (एफ) और (जी) की ओर भी आकृष्ट किया जाता है, जिसमें झूठी घोषणा के मामले में कार्रवाई निर्धारित की गई है।

स्थानीय सामग्री का सत्यापन

1. झूठी घोषणाएं सामान्य वितीय नियमों के नियम 175(1)(i)(h) के तहत सत्यनिष्ठा संहिता का उल्लंघन होंगी, जिसके लिए नियम 151 के अनुसार बोली लगाने वाले या उसके उत्तराधिकारियों को दो साल तक के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। iii) सामान्य वितीय नियमों के साथ-साथ ऐसी अन्य कार्रवाइयां जो कानून के तहत अनुमत हों।

2. एक आपूर्तिकर्ता जिसे इस आदेश के उल्लंघन के लिए किसी भी खरीद इकाई द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, इस आदेश के तहत किसी अन्य खरीद इकाई द्वारा डिबारमेंट की अवधि के लिए खरीद के लिए वरीयता के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसी अन्य खरीद करने वाली संस्थाओं के लिए प्रतिबंध, नीचे दिए गए पैराग्राफ (एच) के तहत निर्धारित तरीके से, अन्य खरीद संस्थाओं के ध्यान में आने की तारीख से संभावित रूप से प्रभावी होगा।

क्रम संख्या	·		(उत्पादों) का प्रतिशत	

6.0 <u>सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर), 2017 के नियम 144 (xi) के तहत प्रतिबंध</u>

।. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश का कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने के लिए तभी पात्र होगा जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत हो।

- ॥. "बोलीदाता" (कुछ संदर्भों में 'निविदाकर्ता', 'सलाहकार' या 'सेवा प्रदाता' शब्द सिहत) का अर्थ किसी भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी से है, जिसमें कंसोर्टियम या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य शामिल है (जो कई व्यक्तियों का संघ है, या फर्म या कंपनियां), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो यहां पहले बताए गए बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता है, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित कोई एजेंसी शाखा या कार्यालय शामिल है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग ले रहा है।
- III. इस आदेश के प्रयोजन के लिए "एक देश से बोलीदाता जो भारत के साथ एक भूमि सीमा साझा करता है" का अर्थ है:
 - a) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत एक इकाई; या
 - b) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत किसी इकाई की सहायक कंपनी; या
 - c) ऐसे देश में निगमित, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से पर्याप्त रूप से नियंत्रित एक इकाई; या
 - d) एक इकाई जिसका लाभकारी मालिक ऐसे देश में स्थित है; या
 - e) ऐसी इकाई का एक भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
 - f) एक प्राकृतिक व्यक्ति जो ऐसे देश का नागरिक है; या
 - g) एक संघ या संयुक्त उद्यम जहां संघ या संयुक्त उद्यम का कोई सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है
- IV. उपरोक्त (iii) के प्रयोजन के लिए लाभार्थी स्वामी निम्नानुसार होगा:
- 1. किसी कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभार्थी स्वामी स्वाभाविक व्यक्ति है। who! चाहे अकेले या एक साथ कार्य करना, या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, एक नियंत्रित स्वामित्व हित है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है। व्याख्या
 - a. "स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या अधिकार है। कंपनी के शेयरों या पूंजी या मुनाफे का,
 - b. "नियंत्रण" में अधिकांश निदेशकों को नियुक्त करने या प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा, जिसमें उनकी शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारकों के समझौते या मतदान समझौते शामिल हैं;
- 2. साझेदारी फर्म के मामले में। लाभकारी स्वामी वह प्राकृतिक व्यक्ति (व्यक्ति) है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से, साझेदारी की पूंजी या लाभ के पंद्रह प्रतिशत से अधिक की हकदारी का स्वामित्व रखता है;
- 3. एक अनिगमित संघ या व्यक्तियों के निकाय के मामले में, लाभार्थी स्वामी प्राकृतिक व्यक्ति है, जो अकेले या एक साथ कार्य कर रहा है, या एक या अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से पंद्रह प्रतिशत

से अधिक का स्वामित्व या हकदार है ऐसे संघ या व्यक्तियों के निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ का;

4. जहां ऊपर (1) या (2) या (3) के तहत किसी भी प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान नहीं की जाती है, लाभार्थी स्वामी प्रासंगिक प्राकृतिक व्यक्ति होता है जो कि विरष्ठ प्रबंध अधिकारी;

5. न्यास के मामले में, हिताधिकारी स्वामी की पहचान में न्यास के लेखक, न्यासी, न्यास में पन्द्रह प्रतिशत या उससे अधिक रुचि रखने वाले हितग्राहियों की पहचान और किसी अन्य प्राकृतिक व्यक्ति की पहचान शामिल होगी जो इस पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण रखता हो। की एक श्रृंखला के माध्यम से विश्वास

नियंत्रण या स्वामित्व।

V. एजेंट वह व्यक्ति होता है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए या तीसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित होता है।

VI. (टर्निकी अनुबंधों सिहत कार्य अनुबंधों के लिए निविदाओं में सिम्मिलित करने के लिए} सफल बोलीदाता को किसी ऐसे देश के किसी भी ठेकेदार को काम करने की अनुमित नहीं दी जाएगी जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जब तक कि ऐसा ठेकेदार सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत न हो।

बोलीकर्ता के लेटर हेड में उपरोक्त के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करने के लिए बोली लगाने वाले के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी है। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रमाणपत्र जिसकी बोली स्वीकार की गई है, गलत पाया जाता है, तो यह तत्काल समाप्ति और कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई का आधार होगा।

"हमने भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोली लगाने वाले से खरीद पर प्रतिबंध के बारे में खंड पढ़ा है; हम प्रमाणित करते हैं कि (फर्म/बोलीदाता का नाम) ऐसे देश से नहीं है या, यदि ऐसे देश से सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत किया गया है। हम एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि (फर्म/बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और विचार किए जाने के योग्य है।"

जहां लागू हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध पंजीकरण का साक्ष्य संलग्न किया जाएगा।

7.0 <u>कीमत</u>

सभी कीमतों को बीएल ई प्रोक साइट में दिए गए मूल्य बोली प्रारूप के अनुसार उद्धृत किया जाना चाहिए।

उद्धृत मूल्य एक्स-बीएल वर्क्स के आधार पर ही होगा। डिलीवरी के स्थान से बीएल के प्रत्येक स्थान के लिए परिवहन लागत का अलग से उल्लेख किया जाना चाहिए। हालांकि, बीएल अपने विवेक से सामग्री को स्थानांतरित करने के लिए अपने स्वयं के ट्रांसपोर्टरों को लगा सकता है यदि ऐसा है।

8.0 डिलीवरी की शर्तें

आपूर्ति बीएल-कोलकाता/सिलवासा संयंत्र के आधार पर ही की जानी है। केवल पीएसयू को छूट दी जा सकती है

9.0 <u>भुगतान शर्तें</u>

बीएल इकाइयों द्वारा सामग्री की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों की क्रेडिट शर्तों को प्राथमिकता दी जाती है।

10.0 जीएसटी

प्रस्ताव में सभी लागू वैधानिक शुल्क, जैसे IGST, CGST (SGST / UTGST) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना है।

11.0 कॉल अप और आपूर्ति

अनुबंध की वैधता प्रारंभ तिथि से 30 दिनों के लिए अनुबंध वैध होगा। आपूर्ति व्यक्तिगत विनिर्माण इकाइयों द्वारा दिए गए हमारे कॉल-अप के अनुसार होगी। डिलीवरी संबंधित स्थान से कॉल-अप जारी करने के 4 कार्य दिवसों के भीतर शुरू होनी चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में, बीएल निविदा वितरण अविध के बाद प्राप्त आपूर्ति को विधिवत रियायती मूल्य के साथ स्वीकार करने के लिए सहमत हो सकता है, यदि आवश्यक हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मौजूदा बाजार स्थितियों को देखते हुए बीएल द्वारा कोई अतिरिक्त लागत नहीं ली जाती है।

यदि सफल बोलीदाता हमारे कॉल अप के अनुसार बेस ऑयल की आपूर्ति करने में असमर्थ है और/या अपेक्षित ग्रेड देने में देरी करता है, तो उन्हें खनिज तेलों की आपूर्ति के लिए तीन (3) महीनों के लिए हमारी भावी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

टैंकर लॉरी के माध्यम से अपने बेस ऑयल को अपने संयंत्रों से हमारे संयंत्रों तक ले जाते समय विक्रेता सभी सुरक्षा और सुरक्षा नियमों का पालन करेगा। मालभाड़ा प्रभारों में दोनों छोर पर लोडिंग और अनलोडिंग प्रभार शामिल होंगे।

12.0 <u>कमी भता</u>

कोई कमी भता की अनुमित नहीं है। सभी किमयों को बिलों से काट लिया जाएगा और प्राप्त सामग्री की वास्तिवक मात्रा के खिलाफ भुगतान किया जाएगा। विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे प्रत्येक खेप के लिए दस्तावेजों के साथ तौल पर्ची प्रदान करें।

13.0 पार्ट ऑर्डर / स्प्लिट ऑर्डर

इस निविदा की अन्य शर्तों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, बीएल अपने विवेक से विभिन्न बोलीदाताओं के बीच आदेश को कम या विभाजित कर सकता है। बीएल किसी भी निविदा को पूर्ण Page 27 of 42

या आंशिक रूप से स्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बीएल न्यूनतम निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा और किसी भी या अधिक निविदाओं को आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संदर्भ में बीएल का निर्णय अंतिम होगा और बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।

14.0 बोली मुल्यांकन

प्रत्येक ग्रेड के लिए प्रत्येक स्थान पर एक दूसरे से स्वतंत्र निवल भूमि लागत आधार (रु/मीट्रिक टन) पर किया जाना है।

15.0 निविदा रद्द करने की धारा:

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल) अपने विवेक से किसी भी समय [चाहे निविदा जमा करने की तारीख से पहले या बाद में] किसी भी अप्रत्याशित / अपरिहार्य परिस्थितियों या किसी अन्य कारण से निविदा प्रक्रिया को रद्द कर सकता है। बीएल उक्त निविदा में प्रतिभागियों/बोलीदाताओं को इसके लिए कोई कारण बताने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

16.0 पंचाट

विवाद समाधान, शासी कानून और क्षेत्राधिकार

यह समझौता, और कोई भी विवाद या दावा (गैर-संविदात्मक विवादों या दावों सिहत) इससे या इसके संबंध में या इसके विषय से उत्पन्न होता है, भारत के कानूनों के अनुसार शासित और माना जाएगा।

इस समझौते की व्याख्या सिहत किसी भी प्रकृति के सभी विवाद, मतभेद और प्रश्न या इस समझौते से या इसके संबंध में या पार्टियों के अधिकारों, कर्तव्यों या देनदारियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता की प्रक्रिया मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संशोधित के रूप में) और समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के तहत शासित होगी। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। मध्यस्थता की सीट कोलकाता में होगी। मध्यस्थ की फीस को समान रूप से विभाजित किया जाएगा। एकमात्र मध्यस्थ को मध्यस्थों के पैनल से नियुक्त किया जाएगा जो बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा (अनुबंध के दूसरे पक्ष) को प्रदान किया जाएगा और वह प्रस्कार के लिए कारण बताएगा।

शासी कानून और क्षेत्राधिकार: इस समझौते की निर्माण वैधता और प्रदर्शन सभी तरह से भारत गणराज्य के कानूनों द्वारा शासित होगा। इस अनुबंध या इसके किसी भाग को लागू करने के लिए किसी भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही के संबंध में या इसके अनुसार किसी भी समझौते ("कार्यवाही") में से प्रत्येक पक्ष, उपरोक्त खंड के अधीन, पार्टियां अपरिवर्तनीय रूप से केवल कोलकाता में न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत करती हैं।

और स्थल के आधार पर या इस आधार पर कि कार्यवाही को एक असुविधाजनक मंच पर लाया गया है, ऐसे न्यायालयों में कार्यवाही पर किसी भी आपित को माफ करता है। भारत सरकार को ऐसे किसी भी विवाद में पक्षकार नहीं बनाया जाएगा। पक्ष एतद्द्वारा किसी भी न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी को दिए गए पुरस्कार के खिलाफ किसी भी प्रकार के सहारा के अपने अधिकार का त्याग करते हैं, जहां तक कि लागू कानून के तहत इस तरह की छूट वैध रूप से की जा सकती है।

17.0 जीएसटी औपचारिकताएं और विनियमों का अन्पालन

बोलीदाता यह आश्वासन देगा कि इस अनुबंध/अनुबंध द्वारा कवर किए गए सभी सामान का उत्पादन, बिक्री, प्रेषण और वितरण सभी लागू कानूनों, विनियमों, श्रम समझौतों, काम करने की स्थितियों और तकनीकी कोड और समय-समय पर लागू आवश्यकताओं के कड़ाई से अनुपालन में किया जाएगा। विक्रेता ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित और वितरित करेगा जो इस तरह के अनुपालन को प्रभावित करने या साक्ष्य के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

विक्रेता जीएसटी भुगतान चालान जारी करेगा ताकि बीएल द्वारा जीएसटी क्रेडिट के रूप में समतुल्य राशि का लाभ उठाया जा सके, यदि लागू हो। विक्रेता/विक्रेता के नामित ट्रांसपोर्टर को माल की डिलीवरी के समय कंपनी को जीएसटी क्रेडिट और रोड परमिट प्राप्त करने के लिए जीएसटी भुगतान चालान की ट्रांसपोर्टर प्रति सौंपना सुनिश्चित करना होगा। सभी अप्रयुक्त / समाप्त सड़क परमिट जारी करने वाली इकाई को वापस कर दिए जाएंगे।

"विक्रेता को अनिवार्य रूप से जीएसटी कानून के सभी प्रावधानों का पालन करना चाहिए और जीएसटी कानून के किसी भी प्रावधान का अनुपालन करने में किसी भी चूक की स्थिति में, बामर लॉरी भुगतान न करने / भुगतान रोकने / विक्रेता को ब्लैक लिस्ट करने के अधिकार का प्रयोग करेगा। "

18.0 जोखिम खरीद

निविदा में अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विक्रेता द्वारा ई-मेल/फैक्स द्वारा कॉल-अप जारी करने के 3 (तीन) कार्य दिवसों के भीतर वितरित करने में विफल रहने की स्थिति में, बीएल के पास उत्पाद की खरीद का अधिकार और विकल्प होगा। वैकल्पिक स्रोतों से, बिना किसी और सूचना के, विक्रेता के जोखिम और लागत पर।

19.0 अप्रत्याशित घटना

किसी भी पक्ष के प्रदर्शन में किसी भी तरह की देरी या विफलता को इसके तहत डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा या क्षिति के लिए किसी भी दावे को जन्म नहीं देगा, यदि कोई हो, तो इस तरह की देरी / प्रदर्शन की विफलता भगवान या दुश्मन के कृत्यों जैसी घटनाओं के कारण होती है, किसी भी सरकार या सरकारी प्राधिकरण के आदेश, युद्ध के कार्य, विद्रोह, तोड़फोड़ या आग, बाढ़, विस्फोट, दंगे, या हमले। विक्रेता ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों का रिकॉर्ड रखेगा और ऐसी घटनाओं के 2 दिनों के भीतर लिखित रूप में खरीदार के संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाएगा। विक्रेता के परामर्श के बाद खरीदार का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। जैसे ही अप्रत्याशित घटना के कारण को हटा दिया जाता है, जिस पक्ष के दायित्व को पूरा करने का दायित्व प्रभावित होता है, वह दूसरे पक्ष को इस तरह की

समाप्ति के बारे में सूचित करेगा और दूसरे पक्ष को ऐसी प्रभावित गतिविधियों में हुई वास्तविक देरी के बारे में सूचित करेगा।

20.0 प्रस्ताव की वैधता

निविदा की देय तिथि से 30 दिनों तक स्वीकृति के लिए मान्य होने का प्रस्ताव

21.0 शुद्धिपत्र/संशोधन

कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र, जब भी आवश्यक हो, केवल कंपनी की वेबसाइट <u>www.balmerlawrie.com</u> और https://balmerlawrie.eproc.in और संबंधित भारत सरकार की ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइटों पर अपलोड किया जाएगा जहां यह निविदा जारी की गई है और इच्छुक विक्रेताओं को नियमित रूप से अपडेट के लिए इन वेबसाइटों पर जाना चाहिए।

22.0 प्रस्ताव प्रस्तुत करना

प्रस्ताव केवल ऑनलाइन जमा किए जाने हैं। हालांकि, तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी बोली ऑनलाइन या ई-मेल या सीलबंद लिफाफे में जमा कर सकते हैं।

23.0 सत्यनिष्ठा समझौता (आईपी)

आगे के मूल्यांकन के लिए योग्य होने के लिए बोलियों के लिए सत्यनिष्ठा समझौता समझौता प्रस्तुत करना एक अनिवार्य शर्त है। अनुबंध ॥ के रूप में संलग्न सत्यनिष्ठा समझौते का मसौदा सादे कागज पर मुद्रित किया जाना है और निविदा की तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करने के लिए बोली लगाने वाले के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और मुहर लगी है। अखंडता समझौते की वैधता निविदा की नियत तारीख से कम से कम 12 महीने या उससे अधिक के लिए होनी चाहिए। हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौता सभी प्रकार से पूर्ण होना चाहिए और इसे बोली के साथ ई-निविदा पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है। उक्त सत्यनिष्ठा समझौते को सभी पृष्ठों में विक्रेताओं के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा, जो बोली और तकनीकी वाणिज्यिक बोली पर हस्ताक्षर करते हैं और समूह । आधार तेल निविदाओं के लिए कवर करना चाहिए। अखंडता समझौते की स्कैन की गई प्रति ई-मेल के माध्यम से भेजी जा सकती है, इसके बाद मूल हार्ड कॉपी कोरियर के माध्यम से भेजी जा सकती है।

हालांकि, जिन बोलीदाताओं ने पहले ही 12 महीने या उससे अधिक की वैधता अविध के लिए हस्ताक्षिरित और मुद्रांकित अखंडता समझौता जमा कर दिया है, उन्हें एक ही आइटम की निविदाओं के लिए प्रत्येक दोहराए जाने वाले निविदाओं के खिलाफ दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है, इसकी वैधता के अधीन कम से कम 6 महीने रहता है। निविदा की नियत तिथि के बाद। यदि सत्यनिष्ठा संधि की वैधता (एक ही वस्तु (वस्तुओं) की दोहराई जाने वाली निविदाओं के खिलाफ बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत) 6 महीने से कम रहती है, तो बोलीदाता को अंतिम तिथि से वैध अगले 12 महीनों की अविध के लिए एक नया सत्यनिष्ठा समझौता प्रस्तुत करना चाहिए। समझौते की निरंतरता के रूप में पहले प्रस्तुत किए गए सत्यनिष्ठा समझौते की वैधता।

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड के लिए (आर्य कांति नाहा) मुख्य प्रबंधक (एससीएम)

फोन नंबर: 033 - 24500110

ई-मेल: <u>naha.ak@balmerlawrie.com</u>

<u>अनुलग्नक ।</u>

मिनरल बेस ऑयल SN-500 (LVG) के लिए विशिष्टता

Test Parameters	Ref. Test Method	Unit	Specification	
Appearance	Clear & Bright		Clear & Bright	
Colour	ASTM D-1500		2.5 max	
Crackle test			No crackling	
Sp. Gravity	ASTM D-1298	gms/ml	Vendor to report	
K. Visc. @ 100 deg C	ASTM D-445	Cst	Vendor to report	
K. Visc. @ 40 deg C	ASTM D-445	Cst	85 min	
Viscosity Index	ASTM D-2270		85 - 100	
Flash Point COC	ASTM D-92	Deg C	220 min	
Pour Point °C	ASTM D-97	Deg C	0 max	
TAN mg KOH/g			0.05 max	

कृपया ध्यान दें कि बेस ऑयल किसी भी अप्रिय गंध से मुक्त होना चाहिए।

वफ़ादारी समझौता

बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएल) को इसके बाद "प्रिंसिपल" के रूप में संदर्भित किया गया है।

		तथा संदर्भित	_, इसके बाद "बोलीदा	ाता/ठेकेदार" के	5 रूप <i>में</i>
		प्रस्तावना			
प्राचार्य	निर्धारित	संगठनात्मक	प्रक्रियाओं	के	तहत,
बोलीदाताओं अनुपालन व इन लक्ष्यों	ा के सभी प्रासंगिक ं और / या ठेकेदार को महत्व देता है। को प्राप्त करने के ' ऊपर उल्लिखित सिद्ध	लिए अनुबंध / पुरस्कार कानूनों, नियमों, विनिय (ओं) के साथ अपने लिए, प्रिंसिपल एक स्व ांतों के अनुपालन के वि	मों, संसाधनों के आं संबंधों में निष्पक्षत । तंत्र बाहरी मॉनिटर	र्थिक उपयोग ना / पारदर्शित (आईईएम) र्व	ता के पूर्ण जो नियुक्ति

धारा 1- प्रधानाचार्य की प्रतिबद्धताएं

1. प्रधानाचार्य भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने और निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं: -

ए। प्रधानाध्यापक का कोई भी कर्मचारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के सदस्यों के माध्यम से, निविदा के संबंध में या अनुबंध के निष्पादन के संबंध में, स्वयं या तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी भी सामग्री या अभौतिक लाभ की मांग नहीं करेगा या स्वीकार नहीं करेगा। कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

बी प्राचार्य, निविदा प्रक्रिया के दौरान सभी बोलीदाताओं के साथ समानता और तर्क के साथ व्यवहार करेगा। प्रिंसिपल विशेष रूप से, निविदा प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान, सभी बोलीदाताओं को एक ही जानकारी प्रदान करेगा और किसी भी बोलीदाता को गोपनीय / अतिरिक्त जानकारी प्रदान नहीं

करेगा जिसके माध्यम से बोलीदाता (ओं) के संबंध में लाभ प्राप्त कर सकते हैं निविदा प्रक्रिया या अन्बंध निष्पादन के लिए।

सी। प्राचार्य सभी ज्ञात पूर्वाग्रही व्यक्तियों को प्रक्रिया से बाहर कर देंगे।

2. यदि प्रधानाचार्य को अपने किसी कर्मचारी के आचरण के बारे में सूचना प्राप्त होती है जो आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत एक आपराधिक अपराध है, या यदि इस संबंध में कोई वास्तविक संदेह है, तो प्रधानाचार्य मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित करेंगे और इसके अलावा कर सकते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें।

धारा २- बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं) की प्रतिबद्धताएं

1. बोलीदाता/ठेकेदार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आवश्यक सभी उपाय करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करते हैं। वह निविदा प्रक्रिया में भाग लेने और अनुबंध निष्पादन के दौरान निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करता है।

ए। बोलीदाता / ठेकेदार, सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, निविदा प्रक्रिया या अनुबंध के निष्पादन में शामिल प्रधानाचार्य के किसी भी कर्मचारी या किसी तीसरे व्यक्ति को कोई प्रस्ताव, वादा या प्रस्ताव नहीं देंगे। निविदा प्रक्रिया के दौरान या अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी भी प्रकार के किसी भी लाभ के बदले में प्राप्त करने के लिए सामग्री या अन्य लाभ जिसके लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

बी बोलीदाता/ठेकेदार अन्य बोलीदाताओं के साथ किसी भी अज्ञात समझौते या समझ में प्रवेश नहीं करेंगे, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, बोलियों को जमा करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या बोली प्रक्रिया में कार्टलाइज़ेशन शुरू करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।

सी। बोलीदाता/ठेकेदार संबंधित आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत कोई अपराध नहीं करेंगे; इसके अलावा, बोलीदाता/ठेकेदार अनुचित तरीके से, प्रतिस्पर्धा या व्यक्तिगत लाभ के प्रयोजनों के लिए उपयोग नहीं करेंगे, या योजनाओं, तकनीकी प्रस्तावों और व्यावसायिक विवरणों के संबंध में प्रधानाध्यापक द्वारा व्यावसायिक संबंध के हिस्से के रूप में प्रदान की गई किसी भी जानकारी या दस्तावेज़ को दूसरों को नहीं देंगे। , इलेक्ट्रॉनिक रूप से निहित या प्रेषित जानकारी सहित।

डी विदेशी मूल के बोलीदाता/ठेकेदार भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों, यदि कोई हों, के नाम और पते का खुलासा करेंगे। इसी प्रकार, भारतीय राष्ट्रीयता के बोलीदाता (ओं)/ठेकेदारों को विदेशी प्रधानों का नाम और पता, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना होगा। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" में उल्लिखित आगे के विवरण बोलीदाता/ठेकेदारों द्वारा प्रकट किए जाएंगे। इसके अलावा, जैसा कि दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है, भारतीय एजेंट/प्रतिनिधि को किए गए सभी भुगतान केवल

भारतीय रुपये में होने चाहिए। "विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों पर दिशानिर्देश" की प्रति संलग्न है और अन्बंध-ए के रूप में चिहिनत है

इ। बोलीदाता/ठेकेदार, अपनी बोली प्रस्तुत करते समय, अपने द्वारा किए गए किसी भी और सभी भुगतानों का खुलासा करेंगे, अनुबंध के पुरस्कार के संबंध में एजेंटों, दलालों या किसी अन्य मध्यस्थों के लिए प्रतिबद्ध हैं या करने का इरादा रखते हैं।

2. बोलीदाता/ठेकेदार किसी तीसरे व्यक्ति को ऊपर उल्लिखित अपराध करने या ऐसे अपराधों के लिए सहायक होने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे।

धारा 3: निविदा प्रक्रिया से अयोग्यता और भविष्य के अन्बंधों से बहिष्करण

यदि बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ठेकेदारों) ने पुरस्कार देने से पहले या निष्पादन के दौरान धारा 2 के उल्लंघन के माध्यम से, ऊपर या किसी अन्य रूप में उल्लंघन किया है जैसे कि उसकी विश्वसनीयता या विश्वसनीयता पर प्रश्निचिहन लगाने के लिए, प्रधानाचार्य ipal निविदा प्रक्रिया से बोलीदाता(कों)/ठेकेदार(कों) को अयोग्य घोषित करने या "ब्लैकलिस्टिंग पर बामर लॉरी पॉलिसी" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्य करने का हकदार है। "ब्लैकलिस्टिंग पर बामर लॉरी पॉलिसी" की प्रति संलग्न है और अनुबंध-बी के रूप में चिहिनत है।

धारा 4: नुकसान के लिए मुआवजा

- क) यदि प्रधानाचार्य ने धारा ३ के अनुसार निविदा प्रक्रिया से बोली लगाने वाले को अयोग्य घोषित कर दिया है, तो प्रधानाचार्य को बयाना राशि/बोली सुरक्षा के बराबर हर्जाना मांगने और वसूल करने का अधिकार है।
- ख) यदि प्रधान ने धारा ३ के अनुसार अनुबंध को समाप्त कर दिया है, या यदि प्रधानाचार्य धारा ३ के अनुसार अनुबंध को समाप्त करने का हकदार है, तो प्रिंसिपल ठेकेदार से अनुबंध मूल्य या राशि के परिसमाप्त नुकसान की मांग और वसूली के हकदार होंगे। प्रदर्शन बैंक गारंटी के बराबर।

धारा ५: पिछला अपराध

ए। बोलीदाता घोषणा करता है कि पूर्व में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है पिछले तीन वर्षों में किसी भी देश में किसी भी अन्य कंपनी के साथ भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के अनुरूप या भारत में किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के साथ जो निविदा प्रक्रिया से उसके बहिष्कार को सही ठहरा सकता है। बी यदि बोलीदाता इस विषय पर गलत बयान देता है, तो उसे निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित किया जा सकता है या "ब्लैकलिस्टिंग पर बामर लॉरी पॉलिसी" में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

धारा ६: सभी बोलीदाताओं/ठेकेदारों/उपठेकेदारों के साथ समान व्यवहार।

ए। बोलीदाता/ठेकेदार सभी उप-ठेकेदारों से इस सत्यनिष्ठा समझौते के अनुरूप प्रतिबद्धता की मांग करने और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले इसे प्रिंसिपल को प्रस्तुत करने का वचन देते हैं। बी प्रिंसिपल सभी बोलीदाताओं, ठेकेदारों और उप-ठेकेदारों के साथ समान शर्तों के साथ अनुबंध करेगा। सी। प्रधानाचार्य निविदा प्रक्रिया से उन सभी बोलीदाताओं को अयोग्य घोषित कर देगा जो इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं या इसके प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं।

धारा ७: उल्लंघन के खिलाफ आपराधिक आरोप बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं)/उपठेकेदार(ओं)।

यदि प्रधानाचार्य को किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार, या किसी कर्मचारी या प्रतिनिधि या किसी बोलीदाता, ठेकेदार या उपठेकेदार के सहयोगी के आचरण का ज्ञान प्राप्त होता है जो भ्रष्टाचार का गठन करता है, या यदि प्रधानाचार्य को इस संबंध में पर्याप्त संदेह है, तो प्रधानाचार्य को इसकी सूचना मुख्य सतर्कता अधिकारी को दें।

धारा ८: स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर/मॉनिटर

- (ए) प्रिंसिपल इस संधि के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर नियुक्त करता है। मॉनिटर का कार्य स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से समीक्षा करना है कि क्या और किस हद तक पार्टियां इस समझौते के तहत दायित्वों का पालन करती हैं।
- (बी) मॉनिटर पार्टियों के प्रतिनिधियों के निर्देशों के अधीन नहीं है और अपने कार्यों को तटस्थ और स्वतंत्र रूप से करता है। वह अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीएल को रिपोर्ट करता है।
- (सी) बोलीदाता/ठेकेदार यह स्वीकार करते हैं कि मॉनीटर के पास ठेकेदार द्वारा प्रदान किए गए प्रोजेक्ट सहित प्रिंसिपल के सभी प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन तक बिना किसी प्रतिबंध के एक्सेस करने का अधिकार है। ठेकेदार, उसके अनुरोध और वैध हित के प्रदर्शन पर, उसके परियोजना प्रलेखन के लिए अप्रतिबंधित और बिना शर्त पहुंच पर, मॉनिटर को भी अनुदान देगा। उपठेकेदारों पर भी यही बात लागू होती है। मॉनिटर बोलीदाता(ओं)/ठेकेदार(ओं)/उपठेकेदार(ओं) की जानकारी और दस्तावेजों को गोपनीयता के साथ व्यवहार करने के लिए संविदात्मक दायित्व के अधीन है।
- (डी) प्रिंसिपल मॉनिटर को परियोजना से संबंधित पार्टियों के बीच सभी बैठकों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करेगा, बशर्ते ऐसी बैठकें प्रिंसिपल और ठेकेदार के बीच संविदात्मक संबंधों पर असर डाल सकती हैं। पार्टियां मॉनिटर को ऐसी बैठकों में भाग लेने का विकल्प प्रदान करती हैं।

- (ई) जैसे ही मॉनिटर नोटिस करता है, या नोटिस करने का विश्वास करता है, इस समझौते का उल्लंघन, वह प्रिंसिपल के प्रबंधन को सूचित करेगा और प्रबंधन को बंद करने या सुधारात्मक कार्रवाई करने, या अन्य प्रासंगिक कार्रवाई करने का अनुरोध करेगा। इस संबंध में मॉनीटर गैर-बाध्यकारी सिफारिशें प्रस्तुत कर सकता है। इसके अलावा, मॉनिटर को पार्टियों से यह मांग करने का कोई अधिकार नहीं है कि वे एक विशिष्ट तरीके से कार्य करें, कार्रवाई से परहेज करें या कार्रवाई को सहन करें।
- (च) प्राचार्य द्वारा संदर्भ या उन्हें सूचित करने की तिथि से 8 से 10 सप्ताह के भीतर मॉनिटर सीएमडी, बीएल को एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और, यदि अवसर उत्पन्न होता है, समस्याग्रस्त स्थितियों को ठीक करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।
- (छ) मॉनिटर बीएल बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों को दी गई/प्रदान की गई शर्तीं पर मुआवजे का हकदार होगा।
- (ज) यदि मॉनिटर ने सीएमडी, बीएल को प्रासंगिक आईपीसी/पीसी अधिनियम के तहत अपराध का एक प्रमाणित संदेह की सूचना दी है, और सीएमडी, बीएल ने उचित समय के भीतर ऐसे अपराध के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए दृश्यमान कार्रवाई नहीं की है या इसकी रिपोर्ट नहीं की है मुख्य सतर्कता अधिकारी को, मॉनिटर इस सूचना को सीधे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को भी प्रेषित कर सकता है।
- (i) 'मॉनिटर' शब्द में एकवचन और बहुवचन दोनों शामिल होंगे।

धारा 9 - पासीटी अवधि

यह सत्यनिष्ठा समझौता से... तक प्रभावी होगा। (कम से कम 12 महीने या उससे अधिक के लिए)।

यदि इस समय के दौरान कोई दावा किया जाता है / दर्ज किया जाता है, तो वह बाध्यकारी होगा और इस समझौते के समाप्त होने के बावजूद वैध बना रहेगा, जब तक कि इसे सीएमडी, बीएल द्वारा निर्वहन / निर्धारित नहीं किया जाता है।

धारा 10 - अन्य प्रावधान

- a) यह समझौता भारतीय कानून के अधीन है। प्रदर्शन और क्षेत्राधिकार का स्थान प्रिंसिपल का पंजीकृत कार्यालय है, अर्थात कोलकाता।
- बी) परिवर्तन और पूरक के साथ-साथ समाप्ति नोटिस लिखित रूप में किए जाने की आवश्यकता है। पक्ष समझौते नहीं किए गए हैं।
- ग) यदि ठेकेदार एक साझेदारी या एक संघ है, तो इस समझौते पर सभी भागीदारों या संघ के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

करणा। -	
	_
(प्रिंसिपल की ओर से)	
(कार्यालय की मुहर)	(कार्यालय की मुहर)
जगह	
तारीख	
गवाह १:	
(नाम पता)	
गवाह २:	
(नाम पता)	

घ) अगर इस समझौते के एक या कई प्रावधान अमान्य हो जाते हैं, तो इस समझौते का शेष हिस्सा वैध रहता है। इस मामले में, पार्टियां अपने मूल इरादों के लिए एक समझौते पर आने का प्रयास

विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के भारतीय एजेंटों के लिए दिशानिर्देश

- 1.0 सभी वैश्विक (खुली) निविदा और सीमित निविदा के लिए एजेंटों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। एक एजेंट जो बीएल के साथ पंजीकृत नहीं है, वह निर्धारित पंजीकरण फॉर्म में पंजीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- 1.1 पंजीकृत एजेंट एक नोटरी पब्लिक/प्रिंसिपल के मूल प्रमाण पत्र द्वारा विधिवत प्रमाणित एक प्रमाणित फोटोकॉपी दाखिल करेंगे, जिसमें एजेंसी समझौते की पुष्टि होगी और एजेंट द्वारा प्राप्त की जा रही स्थिति और एजेंट को प्रिंसिपल द्वारा भुगतान किए जा रहे कमीशन/पारिश्रमिक/रिटेनर-शिप बीएल दवारा आदेश देने से पहले।
- 1.2 जहां कहीं भी भारतीय प्रतिनिधियों ने अपने प्रधानों की ओर से संचार किया है और विदेशी पार्टियों ने कहा है कि वे भारतीय एजेंटों को कोई कमीशन नहीं दे रहे हैं, और भारतीय प्रतिनिधि वेतन के आधार पर या रिटेनर के रूप में काम कर रहे हैं, इस संबंध में एक लिखित घोषणा आदेश को अंतिम रूप देने से पहले पक्ष (अर्थात् प्राचार्य) द्वारा प्रभाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

2.0 भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों के विवरण, यदि कोई हों, का प्रकटीकरण।

- 2.1 विदेशी राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्ताव में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:
- 2.1.1 भारत में एजेंटों / प्रतिनिधियों का नाम और पता, यदि कोई हो, और प्राधिकारियों को प्रतिबद्ध करने के लिए दिए गए प्राधिकरण और अधिकार की सीमा। यदि एजेंट/प्रतिनिधि विदेशी कंपनी है, तो इसकी पुष्टि की जाएगी कि क्या यह वास्तविक पर्याप्त कंपनी है और उसका विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
- 2.1.2 भारत में ऐसे एजेंटों/प्रतिनिधियों के लिए उद्धृत मूल्य (मूल्यों) में शामिल कमीशन/पारिश्रमिक की राशि।
- 2.1.3 निविदाकर्ता की पुष्टि कि भारत में उसके एजेंटों/प्रतिनिधियों को देय कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, का भुगतान बीएल द्वारा केवल भारतीय रुपये में किया जा सकता है।
- २.२ भारतीय राष्ट्रीयता के निविदाकर्ता अपने प्रस्तावों में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करेंगे:
- 2.2.1 विदेशी प्रधानाचार्यों का नाम और पता, यदि कोई हो, जो उनकी राष्ट्रीयता के साथ-साथ उनकी स्थिति को दर्शाता है, अर्थात, क्या निर्माता या निर्माता के एजेंट के पास प्रधानाचार्य का प्राधिकरण पत्र है जो विशेष रूप से एजेंट को भारत में एक प्रस्ताव देने के लिए अधिकृत करता है। सीधे या एजेंटों/प्रतिनिधियों के माध्यम से निवदा के जवाब में।
- 2.2.2 कमीशन/पारिश्रमिक की राशि निविदाकार द्वारा अपने लिए उद्धृत मूल्य (मूल्यों) में शामिल है। Page 39 of 42

- 2.2.3 निविदाकर्ता के विदेशी प्रधानाचार्यों की पुष्टि कि कमीशन/पारिश्रमिक, यदि कोई हो, निविदाकर्ता के लिए उद्धृत मूल्य (ओं) में आरक्षित है, तो परियोजना के संतोषजनक समापन पर भारत में बीएल द्वारा समकक्ष भारतीय रुपये में भुगतान किया जा सकता है या संचालन मदों के मामले में स्टोर और स्पेयर की आपूर्ति।
- 2.3 किसी भी मामले में, अनुबंध के पूरा होने की स्थिति में, भुगतान की शर्तों में कमीशन/पारिश्रमिक, यिद कोई हो, के भुगतान के लिए भारत में एजेंटों/प्रतिनिधियों को भारतीय रुपये में भुगतान की छूट के 90 दिनों की समाप्ति पर प्रदान किया जाएगा अनुबंध के तहत दायित्वों।

२.4 उपरोक्त पैराग्राफ २.० में मांगी गई सही और विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में विफलता संबंधित निविदा को अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी होगी या अनुबंध के पूरा होने की स्थिति में, वही बीएल द्वारा समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके अलावा, बीएल के साथ व्यापारिक लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने या किसी नामित राशि के नुकसान या भुगतान पर जुर्माना लगाया जाएगा।

* * * * *

बोली प्रस्त्त करने की प्रक्रिया

बोलीदाता नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए https://balmerlawrie.eproc/.in पर ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर निविदा जमा करके अपना जवाब प्रस्तुत करेगा। बोलीदाता को ई-प्रोक्योरमेंट मार्केट प्लेस https://balmerlawrie.eproc/.in पर पंजीकरण करना होगा और अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करनी होंगी।

ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट में प्रदर्शित निविदा दस्तावेजों में निर्धारित मानक प्रारूपों में बोलीदाताओं को अपनी पात्रता और योग्यता दस्तावेज, तकनीकी बोली, वित्तीय बोली आदि जमा करनी होगी। बोलीकर्ता ई-प्रोक्योरमेंट वेब साइट पर अपनी पात्रता मानदंड/तकनीकी बोलियों के समर्थन में, यदि आवश्यक हो, सभी प्रासंगिक प्रमाणपत्रों, दस्तावेजों आदि की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करेंगे। हालाँकि, भारी दस्तावेजों को स्कैन और अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनकी भौतिक प्रति निविदा खोलने की तारीख से पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी कार्यालय को भेज दी जानी चाहिए। बोलीदाता अपने द्वारा अपलोड किए गए बयानों, दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करेगा, उनकी श्द्धता/प्रामाणिकता की जिम्मेदारी होगी।

ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म के साथ पंजीकरण:

पंजीकरण और ऑनलाइन बोली जमा करने के लिए बोलीदाता मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं, या वे वेबसाइट https://balmerlawrie.eproc/.in पर लॉग इन करके खुद को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं।

डिजिटल प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण:

ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से बोली जमा करने के लिए बोलीदाता अपने डिजिटल प्रमाणपत्र के साथ बोली को प्रमाणित करेगा और बोलीदाता के डिजिटल प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित नहीं की गई बोलियों को ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। वे सभी बोलीदाता जिनके पास डिजिटल प्रमाणपत्र नहीं हैं, उन्हें डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है आईकेट वे C1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं।

मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी104, सेक्टर 2 नोएडा-201301

1. श्री तीर्थ दास (कोलकाता) <u>tirt</u>	ha[dot]das[at]c1india[dot]com	+91-
		9163254290
2. श्री पार्थ घोष (कोलकाता) <u>par</u>	tha[dot]ghosh[at]c1india[dot]com	+91-
		8811093299
3. श्री सीएच.मणि शंकर <u>chil</u>	kkavarapu[dot]manisankar[at]c1india[dot]com	+91-
(चेन्नई)		8939284159
4. सुश्री उज्ज्वला शिम्पी <mark>यांष</mark>	ala[dot]shimpi[at]c1india[dot]com	+91-022-
(मुंबई)		66865608

हाई कॉपी जमा करना:

बोली ऑनलाइन जमा करने के बाद, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे तकनीकी-वाणिज्यिक/अमूल्य बोली खोलने से पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को आवश्यक अन्य दस्तावेजों के साथ निविदा शुल्क और/ईएमडी के लिए डिमांड ड्राफ्ट/बैंक गारंटी जमा करें। बोलीदाता मूल डीडी/बैंक गारंटी और अन्य दस्तावेज या तो व्यक्तिगत रूप से या क्रियर या डाक द्वारा प्रस्तुत करेगा। बीएल उक्त दस्तावेजों के किसी भी देरी या प्राप्त न होने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज असत्य/झूठा पाया जाता है, तो बोलीदाता काली सूची में डालने, ईएमडी को जब्त करने और कार्य को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। बोलीदाता से अनुरोध है कि हार्डकॉपी जमा करने के प्रमाण के रूप में निविदा आमंत्रण प्राधिकारी से एक पुष्टिकृत पावती प्राप्त करें।

निविदा के लिए शुद्धिपत्र:

बोलीदाता को ई-प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म में समय-समय पर निविदा आमंत्रण प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए परिशिष्ट / शुद्धिपत्र को देखकर किसी भी बदलाव का ट्रैक रखना होगा। निविदा आमंत्रित करने वाली कंपनी इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे/समस्या के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

बोली जमा करने की पावती:

उपयोगकर्ता को बोली जमा करने के लिए आवश्यक सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पूरा करना चाहिए। सभी प्रक्रियाओं और चरणों को पूरा करने के बाद बोली जमा करने की संख्या के माध्यम से सिस्टम द्वारा पावती दिए जाने के बाद सफल बोली प्रस्तुत करने का पता लगाया जा सकता है। निविदा आमंत्रण प्राधिकरण और C1 इंडिया प्रा। लिमिटेड उपयोगकर्ताओं द्वारा अधूरी बोली प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। उपयोगकर्ता यह भी नोट कर सकते हैं कि अपूर्ण बोलियां सिस्टम द्वारा सहेजी नहीं जाएंगी और प्रसंस्करण के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के लिए उपलब्ध नहीं हैं। स्कैन किए गए दस्तावेजों को अपलोड करने से पहले, बोलीदाताओं को उनके द्वारा अपलोड किए गए सभी बयानों, दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर करना होगा, उनकी शुद्धता / प्रामाणिकता की जिम्मेदारी है

*भाषा में किसी प्रकार का विचलन होने पर अंग्रेजी भाग को अंतिम माना जाएगा।